लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया गलत एवं बेबुनियादी कथनों पर आधारित होने व कानूनी प्रावधानों के विपरीत पेश होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2/1/1 से 2/1/3, 2/2, 2/3, 2/4/1 से 2/4/3, 2/5 से 2/7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुयी। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर हुयी ।

बहस उभपक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम मु.न 34 कि.न. 17, 24, व मु.न. 45 कि.न. 4, 5, 6 कुल 5 बीघा रकबा दर्ज है मु.न. 34 व 45 के सरकारी रास्ता लगता है एव प्रार्थीया को कि.न. 1, 2, 3 में से रास्ता दिये जाने की सूरत में प्रार्थीया डी एल सी की दुगनी राशि भरने के लिये तैयार है साथ ही कहा कि स्थगन के कारण प्रार्थना पत्र को लंबित नही रखा जाये/स्थगन समाप्त होने पर पालना हो जायेगी। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमायां जावे। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि आराजी वादाधीन है एव आराजी को रिज्यूम किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश हो चुके है जिस कारण अभी आराजी के मालिक के सम्बध में तय नही है एव प्रार्थीया की आराजी के लिये मु.न. 34 के कि.न. 21, 22, 23 व कि.न. 4, 7, 14 में दो दो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जिसमें से प्रार्थीया आती जाती है एव प्रार्थीया ने अपना खाता अलग कायम करवाते समय उक्त रास्तों को स्वीकृत नही करवाया है, वही मु.न.45 के कि.न. 1, 2, 3 की खातेदारी के सम्बध में वाद राजस्व अपील प्राधिकारी में विचाराधीन है एव आराजी पर स्थगन आदेश जारी किये हुये है जो प्रभावशाली है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ता की आराजी में राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष वाद विचाराधीन है एव अभी प्रथम अपीलीय न्यायालय में वाद विचाराधीन है जो कि राज्य सरकार के विरूद्व है एव आराजी पर स्थगन आदेश भी पारित किये हुये है ऐसी स्थिती में अगर प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थीया को दिया जाता है तो आदेश की पालना नही हो सकती है एव पक्षकारों के मध्य विवाद की स्थिती बनी रहेगी। प्रार्थीया को आने जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है एव प्रार्थीया वैकल्पिक रास्ता की मांग के लिये पूनः न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतू स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया उक्त विवेचन के आधार स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। प्रार्थीया अन्य वैकल्पिक रास्ता के लिये वाद दायर करने के लिये स्वतंत्र रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.11.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.12.05 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested